

संसद प्रश्न: सामान्य से अधिक मानसून

प्रविष्टि तिथि: 20 AUG 2025 4:36PM by PIB Delhi

सरकार 2025 के दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन के लिए जारी भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के दीर्घकालिक पूर्वानुमान से अवगत है। हर साल, आईएमडी मानसून सीजन (जून से सितंबर) के लिए दो चरणों में दीर्घकालिक पूर्वानुमान (एलआरएफ) जारी करता है; अप्रैल में और मई में। 2025 के लिए जारी किए गए इन दोनों पूर्वानुमानों ने दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन 2025 के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा का संकेत दिया। इन पूर्वानुमानों के साथ, वर्षा का अपेक्षित स्थानिक वितरण भी प्रदान किया गया था। दोनों पूर्वानुमान आईएमडी की वेबसाइट (https://internal.imd.gov.in/press_release/20250527_pr_4008.pdf) और यूट्यूब चैनल (<https://www.youtube.com/live/RezdeSjnYBW>) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के सभी 36 मौसम विज्ञान उपविभागों के लिए मौसमी वर्षा का पूर्वानुमान भी जारी किया है मौसमी पूर्वानुमान के अलावा, जून, जुलाई और अगस्त 2025 के लिए मासिक पूर्वानुमान भी जारी किए गए हैं, जिनमें वर्षा और तापमान के पैटर्न के साथ-साथ देश भर में उनके संभावित स्थानिक वितरण को भी शामिल किया गया है। मौसमी और मासिक पूर्वानुमानों के अलावा, आईएमडी नियमित रूप से साप्ताहिक और दैनिक पैमाने पर साप्ताहिक पूर्वानुमान भी जारी करता है, साथ ही अत्यधिक वर्षा की घटनाओं के लिए पूर्वानुमान और प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान भी जारी करता है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को चिन्हित स्थानों पर संबंधित राज्य सरकारों को 24 घंटे तक के समय के साथ अल्पकालिक बाढ़ पूर्वानुमान जारी करने का अधिकार है। एक निश्चित सीमा तक पहुँचने पर समय पर बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए जा रहे हैं।

सरकार ने देश को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए कई पहल की हैं। इस बहुआयामी दृष्टिकोण का उद्देश्य देश के मौसम पैटर्न पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों का समाधान करना है, जिसमें अनुकूलन, शमन और जलवायु लचीलापन निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.):** 2008 में शुरू की गई, यह आठ राष्ट्रीय मिशनों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है जो जलवायु परिवर्तन से निपटते हुए सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। इनमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, सतत कृषि और जल संरक्षण मिशन शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद के मार्गदर्शन में तैयार एन.ए.पी.सी.सी. में तटीय क्षेत्रों पर समुद्र के स्तर में वृद्धि के प्रभाव का आकलन और प्रबंधन करने के उपाय भी शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एन.ए.एफ.सी.सी.) का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों सहित जलवायु अनुकूलन है। एन.ए.एफ.सी.सी. कमजोर तटीय समुदायों की रक्षा करने और समुद्र के स्तर में वृद्धि के प्रति उनकी लचीलापन में सुधार करने के उपायों को वित्तपोषित करता है। इसके अलावा, तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचनाओं का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में विकास का प्रबंधन और नियमन करना भी है। सीआरजेड विनियम तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने और मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को प्रबंधित करने में मदद करते हैं, जिससे बढ़ते समुद्री स्तर के प्रति संवेदनशीलता कम होती है।
- **राज्य कार्य योजनाएँ:** राज्यों ने भी एन.ए.पी.सी.सी. के अनुरूप अपनी स्वयं की जलवायु कार्य योजना विकसित की है, जो क्षेत्र-विशिष्ट कमजोरियों जैसे चरम मौसम की घटनाओं (बाढ़, सूखा), जल निकासी सुधार और मानसून पैटर्न में बदलाव को संबोधित करती है।
- **आपदा प्रबंधन और पूर्व चेतावनी प्रणाली:** भारत ने अपने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के माध्यम से आपदा तैयारी को मजबूत किया है, जो चरम मौसम की घटनाओं (जैसे,

चक्रवात, हीटवेव, बाढ़) के प्रभावों को कम करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ मिलकर काम करता है।

- **जलवायु-अनुकूल कृषि:** सरकार ने जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया है, जैसे सूखा-प्रतिरोधी फसलें, बेहतर जल प्रबंधन, तथा वर्षा और तापमान के पैटर्न में बदलाव के अनुकूल फसल पैटर्न में परिवर्तन।
- **नवीकरणीय ऊर्जा विकास:** भारत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा, का आक्रामक रूप से विस्तार कर रहा है। देश का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करना है।
- **जल संरक्षण:** जल की कमी पर बढ़ती चिंताओं के साथ, सरकार ने जल प्रबंधन में सुधार लाने और विशेष रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सतत जल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन जैसे विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं।
- **नीतिगत और वित्तीय ढाँचे:** सरकार ने जलवायु परिवर्तन संबंधी विचारों को राष्ट्रीय नीतियों और बजटों में भी शामिल किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों (जैसे, पेरिस समझौता) के अनुरूप हैं। इसमें उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करना और संवेदनशील क्षेत्रों के लिए जलवायु वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

इन प्रयासों का उद्देश्य कमजोरियों को कम करना और देश को जलवायु परिवर्तन के विविध प्रभावों से निपटने के लिए तैयार करना है, जिसमें मानसून के पैटर्न में बदलाव से लेकर अधिक लगातार होने वाली चरम मौसम की घटनाएं और उनके व्यापक प्रभाव शामिल हैं।

आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) और राज्य सिंचाई विभाग के बीच एक व्यवस्थित समन्वय मौजूद है। ओडिशा के लिए इन एजेंसियों के बीच नियमित मानसून तैयारी बैठकें आयोजित की जाती हैं, जो इस मौसम में भारी वर्षा और बाढ़ के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। आईएमडी, सीडब्ल्यूसी और अन्य हितधारकों ने संयुक्त रूप से भारी वर्षा से प्रेरित बाढ़ से संबंधित वास्तविक समय के पूर्वानुमान और चेतावनी की जानकारी उत्पन्न करने के लिए एक अंतर-संचालन योग्य वातावरण लागू किया है। भुवनेश्वर स्थित बाढ़ मौसम विज्ञान कार्यालय (एफएमओ) राज्य के सभी नदी जलग्रहण क्षेत्रों के लिए बाढ़ से संबंधित सभी वर्षा के आंकड़े और पूर्वानुमान प्रदान करता है। इस संबंध में, आईएमडी अत्याधुनिक एनडब्ल्यूपी-आधारित पूर्वानुमानों और रडार-आधारित नाउकास्ट प्रणालियों का उपयोग करके प्रेक्षित और पूर्वानुमानित वर्षा के आंकड़े और चेतावनियां प्रदान करके सीडब्ल्यूसी, एसडीएमए और राज्य सिंचाई विभाग का समर्थन करता है। एफ.एफ.जी.एस. बुलेटिन, अचानक आने वाली बाढ़ के लिए, प्रेक्षित और पूर्वानुमानित वर्षा, मिट्टी की नमी और नदी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, परिचालनात्मक रूप से जारी किए जाते हैं। एफ.एफ.जी.एस. बुलेटिन अचानक आने वाली बाढ़ की पूर्व सूचना प्रदान करने में मदद करता है। अचानक आने वाली बाढ़ संबंधी मार्गदर्शन एक मज़बूत प्रणाली है, जिसे लगभग 6-24 घंटे पहले अचानक आने वाली बाढ़ की चेतावनी तैयार करने में सहायता के लिए वास्तविक समय में आवश्यक उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग डॉ. जितेंद्र सिंह ने दी है।

पीके/केसी/एसजी/एसएस

(रिलीज़ आईडी: 2158567)

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Tamil

